

यालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री वीरमा राम, आर.ए.एस

दिनांक - 20.06.25

रीडर/2025/5427

प्रार्थीगण  
1 चैनाराम पुत्र टीकमाराम 2  
गेनाराम पुत्र वालाराम 3  
चूनाराम पुत्र मूलाराम 4  
दिपाराम पुत्र गोदूराम 5  
मगाराम पुत्र रामाराम 6  
मालाराम पुत्र देरामाराम  
जातियान जाट निवासी  
सरणू भीमजी पटवार हल्का  
सरणू तहसील बाड़मेर  
ग्रामीण जिला बाड़मेर।

बनाम


अप्रार्थीगण

1 घमण्डाराम 2 राणाराम पिसरान भैराराम 3  
हरजीराम पुत्र भूराराम जातियान मेघवाल 4  
खीयाराम 5 पूराराम पिसरान जेठाराम 6  
अचलाराम पुत्र मूलाराम 7 देवाराम पुत्र जेठाराम  
8 गजाराम पुत्र गोधूराम 9 रूगाराम पुत्र गंगाराम  
10 गणेश 11 नारणाराम पिसरान जेठाराम 12  
भैराराम 13 ताजाराम पिसरान अचलाराम 14  
राणाराम पुत्र गजाराम जातियान जाट 15  
भंवराराम 16 मुलाराम पिसरान भारूराम 17  
हनुमानराम पुत्र वीरमाराम जातियान कुम्हार 18  
अर्जुन राम पुत्र पसाणाराम 19 मंगलाराम पुत्र  
बुलाराम 20 मूलाराम पुत्र पसाणाराम जातियान  
दर्जी 21 लहरों पत्नि पसाणा जाति भील 22  
शंकरसिंह पुत्र शिवदानसिंह 23 हीर सिंह 24  
हुकम सिंह पिसरान आम्बसिंह 25 स्वरूप सिंह  
26 दीपसिंह पिसरान सांगसिंह जातियान रावणा  
राजपूत निवासी सरणू भीमजी पटवार हल्का  
सरणू तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत  
राजस्व आवेदन संख्या :- 33/2025 दिनांक- 11/06/25

**आदेश**

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा सरणूभीमजी पटवार क्षेत्र सरणू तहसील बाड़मेर ग्रामीण  
जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 576/340 रकबा 18.2594 हैक्टर व खसरा संख्या 659/337  
रकबा 16.9320 हैक्टर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु  
तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्यवाई करने  
से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित  
(वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी  
निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे।  
कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो  
प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

  
(वीरमा राम)


उपखण्ड अधिकारी,  
उप खण्ड आ...  
बाड़मेर

दिनांक- 20.06.25

क्रमांक :- रीडर/2025/5428-31

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी सरणू तहसील बाड़मेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण चैनाराम पुत्र टीकमाराम जातियान जाट निवासी सरणू भीमजी पटवार हल्का सरणू तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण घमण्डाराम पुत्र भैराराम जातियान मेघवाल निवासी सरणू भीमजी पटवार हल्का सरणू तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।

  
उपखण्ड अधिकारी,  
उप खण्ड आ...  
बाड़मेर